न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

निगरानी सं0 04/2017

1. मनीराम पुत्र मोटाराम जाति जाट न्यौल निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

—प्रार्थी

बनाम

1. पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर।
2. ग्राम पंचायत ललानिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ललानिया तहसील नोहर।
3. ग्राम पंचायत गोरखाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोरखाना तहसील नोहर।
4. शिशपाल पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. प्रेमदान पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

—अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज0 अधिनियम सन 1994 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.03.2017 अपील स0 5/17 पटटा स0 14 दिनांक 20.02.1980 को अवैध मानकर खारीज किये गये को अपास्त किये जाने हेतु।

उपस्थितः— 1. श्री कुलदीपसिंह खुडिया, अधिवक्ता प्रार्थी
2 .श्री मदनमोहन जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 27.02.2020

प्रार्थी ने बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 23.03.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी पेश कर निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है —

1. यह कि निगरानीधानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.03.2017 अपील संख्या 05/17 बअदालत प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध गैर कानूनी ढंग से पारित किया गया है जो अपास्तनीय हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. यह कि प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या संख्या 14 दिनांक 20.02.1980 को ग्राम पंचायत ललानिया द्वारा जारी किया गया है प्रार्थी के उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड का आसा पासा निम्न प्रकार से उत्तर में आम रास्ता 15 फुट, दक्षिण में सहीराम कुम्हार, पुर्व में आम रास्ता 30 फुट, रायसिंहपुरा का रास्ता पश्चिम में धर्मपाल मान का मकान है उतर–दक्षिण 40–40 फुट पूर्व–पश्चिम 113–113 फुट है मनीराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी लाखासर के नाम से जारीशुदा है मनीराम पुत्र मोटाराम ने उक्त प्लाट जगदीश पुत्र हरचन्द जाति जाट साकिन लाखासर को दिनांक 27.12.2007 को जरिये इकरारनामा बैचान कर दिया था जगदीश पुत्र हरचंद जाट साकिन लाखासर को भूखण्ड को भौतिक कब्जा सौंप दिया था जो इसके नोहरे के रूप में उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है अब अपने प्लाट पर मकान तामिर कर रहा है तथा नींव व भरती कर दी गई है परन्तु इस भूखण्ड को पंचायत समिति ने आम रास्ता की जगह मानते हुए दीवार निर्माण कर रास्ता की जगह पर कब्जा मानते हुए पंचायत समिति नोहर ने उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 23.03.2017 को निरस्त किया गया है प्रथम तो जिस वक्त पंचायत ललानिया द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया उस वक्त भी पूर्व की तरफ 30 फुट रास्ता रायसिंहपुरा का था जो पट्टे के नक्शे से साबित है क्योकि ग्राम पंचायत ने उस वक्त वाद स्थल का मौका देखकर प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया था तथा उक्त पट्टे पर रूडाराम सरपंच के हस्ताक्षर व अन्य साक्षियों के हस्ताक्षर है तथा दिनांक 07.06.1979 प्रस्ताव संख्या 5 से निलामी 165.50 पैसे की बोली में मंजुर हुआ और 20.02.1980 को पट्टा जारी किया गया था उस भूखण्ड जिसका पट्टा प्रार्थी के पक्ष में 36 वर्षो पहले जारी किया गया है तथा मातहत अदालत ने 36 वर्ष तक किसी सरपंच व ग्राम के व्यक्ति द्वारा कोई आपति नहीं की गई थी। अब मात्र 2017 में गौरव पथ योजनान्तर्गत पक्की सडक निर्माण प्रस्तावित 2000 में हुई थी। इतने समय पश्चात किसी व्यक्ति के पटटे शुद्धा प्लाट का पटटा खारीज किया जाता है तो विधि की भारी भूल की है। फिर भी मातहत अदालत ने दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

3. वाद भूमि के पटटे आबादी भूमि में जारी किये गये है जो विधि अनुसार समस्त कार्यवाही की जाकर जारी किये है उक्त भूखण्ड 40/113 फूट का पूर्व में 30 फूट रास्ता नक्शे में है प्रार्थी के कब्जा में चली आ रहीं है परन्तु पूर्व दिशा के रास्ते के पश्चात भूखण्ड/प्लाट कब्जे शुद्धा है जिनके कोई पटटे व नाप क नहीं है जिन्होंने आम रास्ता अवरूद्ध कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिया है तथा अवैध जो खाली जगह पड़ी है और पीछे भी खाली जगह पड़ी है निम्न तीन प्लाट है। 1– चरणसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर 2– प्रेमदान पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर 3– कृष्ण पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर आगे अप्रार्थी संख्या 4 शिशपाल पुत्र भागाराम जाति जाट का पटटा बना हुआ है जिसका साईज पूर्व–पश्चिम 35–36 व उत्तर–दक्षिण 75–75 फुट पटटा बना हुआ है जिसका पटटा प्रार्थी के पटटे के पश्चात दिनांक 20.10.2010 को बनाया गया है। वहां पर उत्तर पूर्व में 35 फुट रास्ता पंचायत समिति ने बताया है उसके आगे के प्लाट वाले व्यक्तियों ने जो अवैध कब्जा कर रखा है उन्होने गली पर कब्जा कर लिया प्रार्थी का प्लाट पटटा शुद्धा है तथा पटटे में जो भूमि दर्शायी गई है उससे अधिक हो तो ली जा सकती है। परन्तु पटटा खारीज करने में मातहत अदालत ने जो दिलचस्पी ली है वह विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है इसी आधार पर पंचायत समिति नोहर का निर्णय दिनांक 23.03.2017 अपास्त योग्य है।

मातहत अदालत को सर्वप्रथम अपील में मियाद का प्रश्न का विनिश्चय करना चाहिए था मातहत अदालत ने 36 वर्ष पुराने पटटा को आज इतनें वर्ष के लम्बे अंतराल के बाद खारीज करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था मातहत अदालत के समक्ष दफा 5 मियाद का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है ना ही दफा 5 मियाद के बिन्दु का मातहत अदालत में कोई जिक किया इसलिए विधि विरूद्ध निर्णय होने से निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।

मातहत अदालत ने जो भी नोटिस जारी किये थे वो प्रोपर तामिल नहीं करवायें गये और ना ही घर पर चस्पादगी करवाई गई। ग्राम पंचायत ललानाबास उतरादा में कुरड़ाराम पुत्र नन्दराम जाति मेघवाल के हस्ताक्षर करवाकर यह लिखवा दिया कि लेने से इन्कार हो गया। एक प्रति अप्रार्थी को दी गई यह कहना कतई गलत है और अन्य गांव के व्यक्ति नहीं थें वहा क्या जगदीश पुत्र हरचन्द उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर रहा है तो उसे पार्टी बनाया जाता है उसे भी पार्टी बनाया जाता है या सूचना दी जाती निर्माण तो जगदीश कर रहा था।

मातहत अदालत ने ग्राम पंचायत ललानिया के सरपंच को पार्टी बनाया है जबकि पटटा ग्राम पंचायत लाखासर का है जिसका रिकार्ड सन् 1995 के बाद लाखासर में है ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पंचायत लाखासर सरपंच को पार्टी बनाया जाना उचित था इसी आधार पर मातहत अदालत का निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।

7. मातहत अदालत ने ना तो कोई मौका देखा ना ही स्टैडिंग कमेठी के किसी भी सदस्य को भेजा गया सिर्फ एक ही व्यक्ति के पटटे को खारीज करने व राजनैतिक द्वेषता का रूप धारण कर पटटा को खारीज करने में इनटरेस्ट दिखाया है स्टेडिंग कमेटी के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर या कोई नोटिस पार्टी को दिये है साबित नहीं होता है मातहत अदालत ने कहा कि स्टेडिंग कमेटी ने मौका दिनांक 05.03.2017 को देखा है जिस पर किसी सदस्य के हस्ताक्षर या मोहर नहीं लगी हुई है और ग्राम के व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये है जबकि जगदीश तो लाखासर में रहता था उसे तो बुलाया जाना था या नहीं पंचायत के सरपंच को साथ लिया गया और ना ही कोई सूचना है नोटिस पर तारीख दिनांक 23.03.2017 को पेश है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही कर दी जावेंगी। उसी दिन मातहत अदालत ने निर्णय फरमाया है जो मिली भगती व द्वेषता को साबित करता है सतर्कता समिति को कोई कानून वैधता हासिल नहीं है ना ही उक्त रिपोर्ट मान्य हो सकती है उपरोक्त समस्त विधि की स्पष्ट अवहेलना में निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

8. मातहत अदालत के समक्ष धारा 6(1) राज.पंचायत अधिनियम सन् 1994 के तहत अप्रार्थी/अपीलान्ट को पंचायत लाखासर के पटटा आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी जबकि पंचायत ललानिया जरिये सरपंच प्रस्तुत कि गई जो कतई गलत व विधि विरूद्ध पेश की गई ललानिया पंचायत सरपंच को कोई विधिक अधिकार नहीं है जो हाजिर अदालत सुमन पेश हुई है मातहत अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय पारित किया है जबकि ग्राम पंचायत लाखासर जरिये सरपंच पेश होनी चाहिए थी। और उन्हें कोई ऐतराज या उजार होता है सही था इसी आधार मातहत अदालत का निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है क्यों कि प्रार्थी अपीलांट का 36 वर्ष पुराना पटटा आबादी में बना हुआ है उसके अगल बगल में नाजायज अतिकमी भी है जिनके पटटे बने हुए नहीं है पूर्व दिशा में रास्ता की भूमि पर अतिकमण कर रखा है जिनके कब्जे शुद्धा प्लाटों का कोई माप तोल नहीं है उनके पिछे खाली भूखण्ड पड़े है उनकी पैमाईश की जानी चाहिए थी प्रार्थी का बोली से छुड़ाया हुआ प्लाट है जिसका साईज नक्शे पर अंकित है उसमें रास्ता की भूमि मानी जाती है तो इससे प्रार्थी को न्याय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

नही मिल सकेगा और 36 साल बाद अपील प्रस्तुत की गई है अपने आप में निराधार है जो निर्णय किया गया है वही अपने आप में अपास्त योग्य है।

9. पंचायत समिति का निर्णय कतई अस्पष्ट है तथा वह स्पीकिंग आर्डर नहीं है तथा उक्त निर्णय बिना कानूनी प्रकिया अपनाए जारी किया गया है तथा निर्णय–निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है तथा काबिले मन्सुखी है।

10. अपील दिनांक 01.03.2017 पेश की गई तथा मौका नक्शा दिनांक 05.03.2017 को देखा गया तथा नोटिस दिनांक 23.03.2017 को पेश होकर यह कहना कहा तक उचित है नोटिस तो अपील के पश्चात दिया जाता है जिसकी कोई दिनांक नहीं कब जारी किया आगे दिनांक 23.03.2017 को एक तरफा कर दिया गया है और उसी दिन निर्णय किया गया है जो अपने आप में संदेहास्पद निर्णय साबित होता है।

11. निर्णय पंचायत समिति नोहर दिनांक 23.03.2017 आवेदन शिशपाल व ग्राम पंचायत ललानिया सरपंच के दबाव मे आकर राजनैतिक दृष्टि से आवेदक को नुकसान पहुचाने के लिए उसे बिना सुनवाई व सूचना बिना किसी कानूनी प्रकिया अपनाए नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्तनीय है।

12. निर्णय पंचायत समिति में प्रार्थी/अपीलांट को बिना कोई मौका व सूचना व गवाह एक तरफा तौर पर किया गया है जो सहज न्याय के खिलाफ है तथा काबिल खारीजी है।

अतः यह निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी आवेदक प्रार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 23.03.2017 बअदालत मातहत निरस्त फरमाया जावे तथा पटटा स0 14 दिनांक 20.02.1980 बहक आवेदन बहाल किया जावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्राथीगण को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पंचायत समिति का निर्णय दिनांक 23.03.2017 के विरूद्ध निगरानी पेश की है। प्रार्थी का पटटा संख्या 14 दिनांक 20.02.1980 ग्राम पंचायत ललानिया द्वारा जारी किया गया है। यह हमने जगदीश पुत्र हरचन्द को दिनांक 27.12.2007 को बेचान कर दिया जो नोहरे को अपने उपयोग में लेता आ रहा है। यह अपील 36 वर्ष बाद पेश की है। मियाद में नहीं इतने वर्ष बाद अधीनस्थ अदालत को खारिज करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। अधीनस्थ अदालत को इतने विलम्ब से क्यों खारिज किया इसका जिक्र भी निर्णय में नहीं किया। ललानिया पंचायत से अभी लाखासर पंचायत कर दी गई है। वर्तमान में पटटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लाखासर पंचायत के क्षेत्राधिकार का है, इन्होंने ग्राम पंचायत लाखासर को पक्षकार ही नहीं बनाया। शिशपाल व प्रेमदान ने राजनैतिक कारणों से अपील की है। अपील पैमाईश में 01.03.2017 को मौका देखा गया, 05.03.2017 को नोटिस दिया गया, 23.03.2017 को तामिल भी नहीं हुआ व 23.03.2017 को ही निर्णय कर दिया। हमें तो सुना ही नहीं गया। मनीराम ने तो बेच ही दिया था। प्लाट का मालिक जगदीश को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। इन्होनें रास्ता का पटटा मानकर खारिज कर दिया। पूर्व में पंचायत ने रास्ता का पटटा क्यों बनाया फिर सम्पूर्ण पटटा खारिज कर दिया 40X113 का पुरा खारिज कर दिया। निगरानी स्वीकार कर पटटा बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि स्टैडिंग कमेटी ने मौका देखकर जो नक्शा बनाया है उसमें नोहर ललानिया का रास्ता है। जिसे आम रास्ता रायसिंहपुरा दर्शा रखा है। इस 30 फुट रास्ता पर पटटा बना दिया। बिजली का खंभा भी प्लाट में आया हुआ है सभी उपस्थित मौत बिरान के हस्ताक्षर है। इस रास्ते पर गौरव पथ प्रस्तावित था ये चाहते गौरवपथ ना बनें इन्होने दिवार बनाकर कब्जा करने लगे तब गांव के लोगो ने रोका तो पटटे की जानकारी हुई। दिनांक 21.02.2017 को पटटे की नकल ली तब से ही ज्ञान होने से इसकी मियाद मानी जायेगी। इन्होंने ABC दर्शाया है उस पर पटटा बना लिया। इनका गांव ललाना है और पटटा बना लिया लाखसर में जो गलत है। ग्राम पंचायत को रास्ता सुरक्षित रखना चाहिए ना कि उस पर पटटा जारी करें। दिनांक 14.05.2018 को पंचायत समिति नोहर से निर्णय हुआ उसमें धर्मपाल ने अपील प्रस्तुत की उसमें भी इनके पटटे खारिज किये गये, जिसकी निगरानी भी पेश नहीं की यह निर्णय अंतिम है। ललानिया ग्राम पंचायत ने पटटा जारी किया इसलिए इनको पक्षकार बनाया लाखासर में तो रिकार्ड ही नहीं था। पटटा जारी करने की 141–158 की पूरी प्रक्रिया भी नहीं अपनाकर रास्तें की भूमि आवंटित कर दी। इकरारनामें से इन्होंने बेचान बताया है इससे Right Transfer नहीं होते है। हमने जगदीश को पक्षकार नहीं बनाया इन्होंने निगरानी पेश की उसमें भी तो पक्षकार नहीं बनाया। RRD 2009 पेज न 341 का दृष्टांत देकर बताया की पंचायत रास्तों की ट्रस्टी है बेचान नहीं कर सकती शुरू से ही काबिल खारिज है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः बहस में निवेदन किया कि मेरा गांव ललाना है, लाखासर में मेरी जमीन है इसलिए वहां प्लाट लिया हमने प्रार्थना पत्र दिया, बैठक हुई व मौका देखकर ही पूरी प्रक्रिया से पटटा जारी हुआ है। अतः स्वीकार निगरानी स्वीकार फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील के निर्णय में मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का ना तो कोई उल्लेख किया गया है ना ही प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर 36 वर्ष पुराने पटटे की अपील को परिसीमा में मानने के आधार का ही उल्लेख किया है। जबकि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 व पंचायत राज नियम 1996 के नियम 166 में पंचायत के आदेशों की अपील के लिए 30 दिन की परिसीमा निर्धारित है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपील को परिसीमा में किस आधार पर माना है इसका कोई उल्लेख भी अपने निर्णय में नहीं किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार पंचायत समिति की प्रशासन स्थापना समिति द्वारा 36 वर्ष पुराना पटटा खारीज किया गया है जो उचित प्रतित नहीं होता है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील दिनांक 01.03.2017 को पेश की गई और 05.03.2017 को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की गई। निगरानीकर्ता को नोटिस जारी 23.03.2017 को सुनवाई हेतु तारीख दी गई एवं दिनांक 23.03.2017 को ही निर्णय ही पारित कर दिया गया इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति के द्वारा सद्भावना पूर्वक एवं पूर्ण साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने से खारिज योग्य है।

निगरानीकर्ता को जारी पटटा संख्या 14 दिनांक 20.02.1980 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटटे के पृष्ठ भाग पर पूर्व दिशा में 30 फीट का आम रास्ता दर्शाया गया है इससे यह भी साबित होता है कि तत्कालिन ग्राम पंचायत के द्वारा रास्ता छोड़ते हुए पटटा जारी किया गया है जबकि पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 05.03.2017 अस्पष्ट है। इसमें निगरानीकर्ता के पटटे के पूर्व में कुल कितना रास्ता उपलब्ध है इसका कोई उल्लेख भी नहीं है साथ ही मौका रिपोर्ट में नक्शा बनाने के अलावा कोई रिपोर्ट भी पेश नहीं कि गई है, फिर प्रशासन एवं स्थापना समिति के द्वारा किस आधार पर रास्ते की भूमि मानते हुए पटटा खारीज कर अपील स्वीकार की है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पटटे में स्पष्ट रूप से रास्ते का अंकन किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पंचायत समिति की प्रशासन व स्थापना समिति द्वारा 36 वर्ष पुराने पटटे की अपील को स्वीकार कर पटटा खारीज करना विधि सम्मत नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

होने से उनका निर्णय दिनांक 23.03.2017 खारीज किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें। निर्णय की एक प्रति पंचायत समिति नोहर को पालनार्थ प्रेषित हो।

27/2/2020

(नारायण सिंह बारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official